

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२

विषय— राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक ०७ मार्च, २०१८

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/२०१७/४५७ दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें।

२ इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिकोण से राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्व स्वीकृति प्रदान करते हैं—

१ प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय—

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
१	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	०२ वर्ष	रु० 10.०० लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० ज०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
२	स्नातकोत्तर (एम०बी०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	०२ वर्ष	रु० 40.०० लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा संविदा प्रवेत्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
:				

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	₹० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	------------------	--

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-
1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
 2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
 3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री धारक/ पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/ सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
 4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
 5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
 6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
 7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित डिप्लोमा कार्य में हिन्दीय पक्ष श्री राज्यपालू उत्तर प्रदेश की ओर से एक्सीफ्रेंट कार्य पर उत्तराधिकार करने हेतु सम्बुद्धि संलग्न/भेदिकाल कालेपा/पुनिवर्ती जो इसमें अधिकारी को विकल्पा रिकाम द्वारा नामित किया जायेगा।

3- इस नियोजन का कठार्ड से अनुस्तान चुनिविक्षण किया जाता।

३- उक्ता निर्देशी का कठाई से अनुपस्थाप सुनिश्चित किमा जाए।

संस्कृत-विज्ञान

भवदीय,
(दाता विनोद दुबे)
प्रबन्ध संहिता।

संख्या— /71-2-2018-तात्पुरिका
प्रतिलिपि निम्नलिखित वार्ता सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयोगित—
1. प्रमुख लखिय, जाग चुनौतीय की, उद्योग शासन।
2. स्टारक अफिसर, मुख्य लखिय, उद्योग शासन।
3. प्रमुख लखिय, विभिन्नता प्रबन्धन एवं परिवर्तन कल्याण विभाग, उद्योग शासन।
4. व्हार्निंग्स्कॉर्स, विभिन्नता एवं स्वास्थ्य विभाग, उद्योग लघुनक।
5. चुनौतीय, किंव जारी विभिन्नता विशेषज्ञात्वे, उद्योग लघुनक।
6. कानूनीय, उद्योग आयुर्विज्ञन विभागविधायक, सेक्वेंट इटाना।
7. निवेशक, एस्टेटीलीपीलीजाइड, लंडनकर।
8. निवेशक, डाओ बान नोटोइ लोहिया आयुर्विज्ञन संस्थान, लंडनक।
9. निवेशक, मुख्य संस्कृतीयविभागी बाल विभिन्नतालय एवं वीशेषिक संस्थान, लंडन।
10. निवेशक, राजकारण आयुर्विज्ञन संस्थान, बेटर न्यूज़लैंड।
11. प्रधानमान्य, उपर्युक्त वार्ताकी विभिन्नता कल्याण विभाग, उद्योग शासन।
12. समाज मुख्य विभिन्नताप्रकारी, उद्योग द्वारा समिक्षकम्, ने. वि. हैं असेशन, ५३, लंडनडु।
13. विभिन्नता विभाग अनुसार—१ एवं ४।
14. पार्टी फाइंड।

卷之三

अनिल कुमार
प्रस. संग्रह।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
प्राप्ति-मार्ग-३/२०१८/ १५७ लखनऊक्रमांक १० मार्च, २०१८

(प्र०५५० गुरुता)
महाविद्वान् ।